

बजट आवंटन आदेश-17

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-27 : Soil and moisture Conservation (SMC) Works in and around Protected Areas /Conservation Reserves/Potential Wild life Areas में वर्णित संलग्न सूची अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

**APO Item No. 27 : Soil and Moisture Conservation (SMC) Works in and around Protected Areas /Conservation Reserves/Potential Wild life Areas**

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Soil and moisture Conservation (SMC) Works in and around Protected Areas /Conservation Reserves/Potential Wild life Areas.						
		A) Anicut type III / tankas / water bodies (nos.)	Amount to be allotted @ 6.50000 (Rs. In lakh)	B) Anicut type II / guzzlers / tankas/water bodies (nos.)	Amount to be allotted @ 3.75000 (Rs. In lakh)	C) MPT (nos.)	Amount to be allotted @0.70000 (Rs. In lakh)	Total Budget allotment (Rs. In lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उ.व.सं. अजमेर					1	0.70000	0.70000
2	उ.व.सं. भीलवाड़ा	1	6.50000	1	3.75000	2	1.40000	11.65000
3	उ.व.सं. टोंक	1	6.50000	1	3.75000	2	1.40000	11.65000
4	उ.व.सं. भरतपुर	1	6.50000	1	3.75000	1	0.70000	10.95000
5	उ.व.सं. करौली	1	6.50000					6.50000
6	उ.व.सं. सवाईमाधोपुर	1	6.50000			3	2.10000	8.60000
7	उ.व.सं. चूरु	1	6.50000			2	1.40000	7.90000
8	उ.व.सं. हनुमानगढ़					2	1.40000	1.40000
9	उ.व.सं. बाड़मेर	1	6.50000					6.50000
10	उ.व.सं. जालौर	1	6.50000	1	3.75000	2	1.40000	11.65000
11	उ.व.सं. पाली	1	6.50000	1	3.75000	2	1.40000	11.65000
12	उ.व.सं. सिराही	1	6.50000	2	7.50000	3	2.10000	16.10000
13	उ.व.सं. जयपुर	1	6.50000	1	3.75000			10.25000
14	उ.व.सं. अलवर	2	13.00000	2	7.50000	6	4.20000	24.70000
15	उ.व.सं. दौसा	1	6.50000			2	1.40000	7.90000
16	उ.व.सं. झुंझुनू	1	6.50000	1	3.75000	3	2.10000	12.35000
17	उ.व.सं. बारां	1	6.50000	1	3.75000			10.25000
18	उ.व.सं. सीकर			1	3.75000	3	2.10000	5.85000
19	उ.व.सं. झालावाड़	1	6.50000	1	3.75000	2	1.40000	11.65000
20	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	1	6.50000	1	3.75000	2	1.40000	11.65000
21	उ.व.सं. बांसवाड़ा			2	7.50000	3	2.10000	9.60000
22	उ.व.सं. चित्तौड़गढ़	1	6.50000	2	7.50000	3	2.10000	16.10000
23	उ.व.सं. डुंगरपुर	1	6.50000					6.50000
24	उ.व.सं. प्रतापगढ़	1	6.50000	2	7.50000	4	2.80000	16.80000
25	उ.व.सं. उदयपुर	2	13.00000	1	3.75000	4	2.80000	19.55000
26	उ.व.सं. एच उ.क्ष.नि. (प्रथम) रण. बाघ परि. सवाई माधोपुर	1	6.50000	2	7.50000			14.00000
27	उ.व.सं. एच उ.क्ष.नि. (द्वितीय) रण. बाघ परि. करौली	2	13.00000	2	7.50000	2	1.40000	21.90000
28	उ.व.सं. वन्य जीव माउन्ट आंबू पर्वत सिराही	1	6.50000	1	3.75000	1	0.70000	10.95000
29	उ.व.सं. वन्य जीव जयपुर	1	6.50000	1	3.75000	3	2.10000	12.35000



30	उ.व.सं. वन्य जीव सरिस्का अलवर					4	2.80000	2.80000
31	उ.व.सं. वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर	4	26.00000	2	7.50000	4	2.80000	36.30000
32	उ.व.सं. वन्य जीव कोटा	2	13.00000	2	7.50000	2	1.40000	21.90000
33	उ.व.सं. एम.एन.पी. कोटा	1	6.50000	1	3.75000	2	1.40000	11.65000
34	उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर	1	6.50000	1	3.75000	2	1.40000	11.65000
35	उ.व.सं. वन्य जीव उदयपुर	1	6.50000	1	3.75000	2	1.40000	11.65000
36	उ.व.सं. वन्य जीव चित्तौडगढ़	1	6.50000	2	7.50000	2	1.40000	15.40000
37	उ.व.सं. वन्य जीव राजसमंद	2	13.00000	2	7.50000	2	1.40000	21.90000
कुल योग		40	260.00000	39	146.25000	78	54.60000	460.85000

### सामान्य शर्तें

- 1 Prior to implementation of above activities, the Dcfs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan. Whereas, activities proposed in forest fire prevention and control operations should be as per Integrated Fire Management Plan.
- 2 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14( )ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 3 उप वन संरक्षण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 4 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines व Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 5 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 6 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 7 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जावे जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 8 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 9 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप, कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संवारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 10 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 11 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 12 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त विज्ञापन निर्देशों की पालना की जावे।
- 13 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- 14 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 15 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न : एनेक्चर -I

Shikha  
(शिखा मेहरा)  
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
राजस्थान, जयपुर।

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास राजस्थान, जयपुर।
- 2 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/वन्य जीव-सवाई माधोपुर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/उदयपुर/सरिस्का अलवर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक - अजमेर/भीलवाड़ा/टोंक/भरतपुर/कसौली/सवाई माधोपुर/चूरू/हनुमानढा/बाडमेर/जालौर/पाली/सिरोही/जयपुर/अलवर/दौसा/झुंझुन/सीकर/बारां/झालावाड़/उदयपुर उत्तर/बांसवाड़ा/चित्तौड़गढ़/झुंझुनपुर/प्रतापगढ़/उदयपुर/उ.व.सं. एवं उ.क्ष.नि. (प्रथम) रण. बाघ परि. सवाई माधोपुर/उ.व.सं. एवं उ.क्ष.नि. (द्वितीय) रण. बाघ परि. कसौली/वन्य जीव माउण्ट आबू पर्वत सिरोही/वन्य जीव जयपुर/वन्य जीव सरिस्का अलवर/वन्य जीव चिडियाघर, जयपुर/वन्य जीव कोटा/एम.एन.पी. कोटा/वन्य जीव चम्बल, अभ्यारण्य सवाई माधोपुर/वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव चित्तौड़गढ़/वन्य जीव राजसमंद।
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMP) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।
- 7 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली।

(आकांक्षा जोशी)

उप वन संरक्षक (कैम्पा)  
राजस्थान, जयपुर।